प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 दिसम्बर, 2022

विषय:- जिला कारागार, झॉसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवचरन पुत्र श्री भगवानदास, निवासी जनपद-झॉसी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.04.2022) दिनांक-06.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झॉसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवचरन पुत्र श्री भगवानदास, मु0 रामनगर कस्बा थाना-गरौठा, जनपद-झॉसी का निवासी है। जमीनी विवाद की पुरारी रंजिश को लेकर दिनांक 25.10.2005 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्टल से गोली मारकर रामराजा मन्दिर के पुजारी रामेश्वर प्रसाद मिश्रा की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा दिनांक 17.10.2020 तक 14 वर्ष, 11 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 09 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-142/2005, में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 392/34, 452/34 व 324/34 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द अधिनियम, झॉसी के आदेश दिनांक 28.04.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.03.2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 06.08.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की शारीरिक दशा, आयु को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में अपराध कारित करने का अवसर प्रतीत होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट झांसी द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने जमीनी विवाद की पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 25.10.2005 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्टल से गोली मारकर रामराजा मन्दिर के पुजारी रामेश्वर प्रसाद मिश्रा की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा, समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत शिवचरन पुत्र श्री भगवानदास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, झॉसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवचरन(बन्दी संख्या-460/2010) पुत्र श्री भगवानदास, निवासी जनपद-झॉसी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-168/2022/1483(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, झॉसी ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-168/2022/1483/22-2-2022-17(1147)/2019

दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, झॉसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवचरन पुत्र श्री भगवानदास, मु0 रामनगर कस्बा थाना-गरौठा, जनपद-झॉसी का निवासी है। जमीनी विवाद की पुरारी रंजिश को लेकर दिनांक 25.10.2005 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्टल से गोली मारकर रामराजा मन्दिर के पुजारी रामेश्वर प्रसाद मिश्रा की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा दिनांक 17.10.2020 तक 14 वर्ष, 11 माह, 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 09 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-142/2005, में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 392/34, 452/34 व 324/34 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश गिरोहबन्द अधिनियम, झॉसी के आदेश दिनांक 28.04.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.03.2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 06.08.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की शारीरिक दशा, आयु को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में अपराध कारित करने का अवसर प्रतीत होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट झांसी द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने जमीनी विवाद की पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 25.10.2005 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्टल से गोली मारकर रामराजा मन्दिर के पुजारी रामेश्वर प्रसाद मिश्रा की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा, समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत शिवचरन पुत्र श्री भगवानदास को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।